न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 11 / 2018

अपीलान्ट्स :–

1. भीखी देवी पुत्री बालूराम पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– ग्राम पोस्ट केरू, तहसील व जिला जोधपुर।
2. धाईदेवी पुत्री बालूराम पत्नी नराराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– सुवालिया तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. चुकी देवी पुत्री बालूराम पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– ढाढणिया भायला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. उप तहसीलदार बालेसर, तहसील कार्यालय बालेसर, जिला जोधपुर।
2. गोबरराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
3. झमू पत्नी बालूराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
4. संतु देवी पत्नी धनाराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
5. गुड्डी पुत्री धनाराम पत्नी बुधाराम हाल निवासी बासनी भाटीयान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
6. सुमित्रा पुत्री धनाराम पत्नी ताजाराम जाति मेघवाल हाल निवासी– गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्थान अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 554 जो उपतहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 20.12.2004 के तहत नामान्तरकरण प्रविष्ठ संख्या 14 को स्वीकृत किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री गिरधरसिंह भाटी।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 6 तक बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित।

राजस्व अपील संख्या :– 12 / 2018

अपीलान्ट्स :–

1. भीखी देवी पुत्री बालूराम पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– ग्राम पोस्ट केरू, तहसील व जिला जोधपुर।
2. धाईदेवी पुत्री बालूराम पत्नी नराराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– सुवालिया तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. चुकी देवी पुत्री बालूराम पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी– उटाम्बर, हाल निवासी– ढाढणिया भायला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. तहसीलदार बालेसर, तहसील कार्यालय बालेसर, जिला जोधपुर।

2. गोबरराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
3. झमू पत्नी बालूराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
4. संतु देवी पत्नी धनाराम जाति मेघवाल, निवासी उटाम्बर।
5. गुड्डी पुत्री धनाराम पत्नी बुधाराम हाल निवासी बासनी भाटीयान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
6. सुमित्रा पुत्री धनाराम पत्नी ताजाराम जाति मेघवाल हाल निवासी– गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्थान अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 347 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 28.05.2015 के तहत नामान्तरकरण प्रविष्ठ संख्या 14 को स्वीकृत किया गया।

— — —

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री गिरधरसिंह भाटी।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 से 6 तक बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित।

<u>–:आदेश:–</u> **दिनांक:– 19.07.2018**

यह दोनों अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 20.12.2004 ग्राम उटाम्बर जो उपतहसीलदार, बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया व नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 28.05.2015 ग्राम बासनी मनणा का तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध पेश की है।

उक्त दोनों राजस्व अपील के प्रकरणों के तथ्य मिलते–जुलते होने के कारण तथा पक्षकार भी एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सलंग्न रखी जावें।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप तहसीलदार बालेसर / तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 20.12.2004 ग्राम उटाम्बर व नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 28.05.2015 ग्राम बासनी मनणा में स्थित अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पिता की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। ग्राम उटाम्बर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 322 रकबा 26.04 बीघा के खातेदार बालूराम पिता पीराराम, शंकरराम, भीकाराम, दलाराम पिता खेताराम थे। इसी प्रकार ग्राम बासनी मनणा में स्थित कृषि भूमि में खसरा नं0 3 रकबा 6.07 बीघा, खसरा नं0 218 रकबा 46.13 बीघा कुल रकबा 53.00 बीघा के खातेदार बालीराम पुत्र पीराराम थे। अपीलार्थिया के पिता बालूराम फौत दिनांक 20.05.1996 व उनका पुत्र धनाराम का देहान्त 15.07.1999 को नामान्तरकरण भरा गया। बालूराम के वारिसान के रूप में अपीलार्थिया भी बालूराम की पुत्रियां होने से उनका भी नाम राजस्व रेकर्ड में होना चाहिए जो कि नहीं होने से यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थिया के अभिभाषक द्वारा यह दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त दोनों प्रकरण कैम्पकोर्ट बालेसर में दिनांक 21.05.2018 को रखे जाने पर अपील

संख्या 11/2018 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित रहे। अपील संख्या 12/2018 के प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित व रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री हनुवन्तसिंह भाटी ने अपना वकालतनामा पेश किया। उक्त दोनों प्रकरणों में मूल नामान्तरकरण प्राप्त कर अपीलार्थिया के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरणों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जा रहा है।

अपीलार्थिया के योग्य अभिभाषक श्री गिरधरसिंह भाटी ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्वर्गीय बालूराम के सभी वारिसानों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं तथा सभी वारिसानों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना कर सभी वारिसानों की जांच किये बगैर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य होना बताया। अपीलार्थिया स्वर्गीय बालूराम की जायन्दा पुत्रिया होने से विवादग्रस्त भूमि पर इनका भी कब्जाकाश्त होने से नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के अधिकारीणीय है।

अपीलान्ट स्वर्गीय बालूराम की प्रथम श्रेणी की पुत्रिया है तथा बालूराम के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 तक तत्कालीन पटवारी को भलीभाति ज्ञान था कि स्वर्गीय बालूराम के अपीलार्थिया 1 से 3 प्रथम श्रेणी की वारिसान है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य बताया।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम उटाम्बर के नामान्तरकरण सं0 554 व ग्राम बासनी मनणा के नामान्तरकरण सं0 347 जो स्वर्गीय बालूराम के सभी वारिसान की बिना जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकार किया है जबकि अपीलार्थिया भी स्वर्गीय बालूराम के प्रथम श्रेणी की वारिस है। उक्त दोनों नामान्तरकरण स्वर्गीय बालूराम के सभी वारिसानों को बगैर नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा आदेश पारित किया है जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थिया ग्रामीण परिवेश की औरतें है तथा कानून की समुचित जानकारी नहीं है, उक्त दोनों आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से जमाबन्दी एवं म्यूटेशन की नकलें लेने पर हुई। अतः उक्त हुई देरी को न्यायहित में माफ किया जावें।

हमने अपीलार्थिया अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट वक्त बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है कारण कि अपीलार्थिया ग्रामीण क्षेत्र की होने के कारण कानून/राजस्व रेकर्ड की जानकार नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि नामान्तरकरण संख्या 554 ग्राम उटाम्बर के स्वर्गीय खातेदार बालूराम पुत्र पीराराम के फौत होने पर फौतेदगी का नामान्तरकरण गोबरराम पुत्र बालूराम, झमूदेवी बेवा कालूराम, संतुदेवी पत्नी धनाराम, शंकरराम, भीकाराम, दलाराम पुत्र खेताराम के नाम से स्वीकृत किया गया। इसी तरह नामान्तरकरण संख्या 347 ग्राम बासनी मनणा के खातेदार स्वर्गीय बालीराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम भरा गया लेकिन मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थिया का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया जबकि अपीलार्थिया अपने आप को स्वर्गीय बालूराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होना बताया है।

मृतक बालूराम पुत्र पीराराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानों का होता है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थिया मृतक बालूराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल के प्रथम श्रेणी की वारिसान है तो इनका भी नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में होना चाहिए।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, बालेसर द्वारा ग्राम उटाम्बर के नामान्तरकरण सं0 554 व तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम बासनी मनणा का स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 347 एतद् निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्वर्गीय बालूराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सिरे से पूर्ण करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर